न्यायालय विक्रम प्रताप चन्द्रा, अपर सेशन न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी (पॉक्सो) कोरबा छ०ग० द्वारा **पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर**, **आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अपराध क्रमांक 1260/2022** छ०ग० राज्य विरूद्ध जितेन्द्र सिंह गांधी में प्रस्तुत जमानत याचिका क्रमांक 504/2022 में पारित आदेश दिनांक 23/12/2022 की प्रतिलिपिः-

---

जितेन्द्र सिंह गांधी उर्फ विक्की, पिता स्व. हरवंश सिंह मरावी, उम्र 44 वर्ष, निवासी एस०बी०एस० कॉलोनी ओल्ड चीफ हाउस के पास कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ०ग०) --------- **आवेदक**

विरूद्ध

छ०ग० राज्य द्वारा पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर,
आरक्षी केन्द्र कोतवाली,
जिला कोरबा (छ०ग०) ---------- **अभियोगी**

पुनश्च 23.12.2022

यह जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त।

अभिरक्षाधीन आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी०पी० मोदी उपस्थित।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री रामकुमार मौर्य उपस्थित।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 पर तर्क हेतु नियत है।

अपराध क्रमांक 1260/2022 छ०ग० राज्य विरूद्ध जितेन्द्र सिंह गांधी, अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित रिमाण्ड प्रपत्र न्यायालय श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा, से एवं केस डायरी पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर, आरक्षी केन्द्र कोतवाली से मय प्रतिवेदन प्राप्त ।

याचिका पर उभयपक्षों के तर्क सुने गये ।

याचिका में निवेदन किया गया है कि पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर, आरक्षी केन्द्र कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 1260/2022 में उसे दिनांक 18/12/2022 को गिरफतार किया गया है तब से वह लगातार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक निर्दोष है, उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर द्वारा अभियुक्त से जो जप्ती जा रही वह पूर्णतः झूठा व बनावटी जप्ती है, मात्र निजात अभियान के तहत बढ़ा चढ़ाकर 05 लीटर से थोड़ी मात्रा अधिक बतलाते हुये जेल भेजने के उद्देश्य से यह बेबुनियाद मामला पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक पर पंजीबद्ध अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। अतः आवेदक को जमानत की सुविधा दिये जाने पर वह न्यायालय के समस्त शर्तो एवं निर्देशों का पालन करने हेतु तैयार है।

जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक की ओर से उसकी **पत्नी जसवीर कौर** का शपथ पत्र संलग्न किया गया है जिसमें यह प्रथम आवेदन होना और इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में न ही निराकृत होना और न ही वर्तमान में लंबित होना उल्लेखित किया गया है।

राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 18.12.2022 को मुखबीर से सूचना मिली की आवेदक भारी मात्रा में देशी सादा व विदेशी मदिरा रख कर बिक्री कर रहा है, जिसके आधार पर आवेदक के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक की बोरी के अंदर लाईफ स्टाईल विस्की 180 एम०एल० का 08 नग एवं देशी प्लेन शराब 21 पाव 180 एम०एल० का भरा हुआ कुल मात्रा **5.220 लीटर** कुल कीमती ₹2,800 एवं शराब बिक्री रकम ₹120 गवाहों के समक्ष जप्त किया गया जाकर छ०ग० आबकारी अधिनियम, की धारा 1915 धारा 34 (2) का अपराध पंजीबद्ध कर उसे दिनांक 13.12.2022 को गिरफ्तार किया गया है, और महत्वपूर्ण विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तुत केस डायरी के परिशीलन से

प्राप्त हो रहा है। आवेदक के अन्य अपराध में दोषसिद्धी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा पंजीबद्ध अपराध धाराये मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय न होकर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण योग्य है, अतः आवेदक को पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर, आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अपराध क्रमांक 1260/2022 में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्तानुसार आवेदिका की ओर से ₹**20,000** का एक समक्ष/नगद प्रतिभू सहित बंधपत्र न्यायालय श्री कृष्ण कुमार सूयर्वंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के संतुष्टि योग्य निष्पादित किया जावे तो आवेदक को अग्रलिखित शर्तों के पालन में उसे जमानत पर रिहा किया जावेः-

1 वह नियमित रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रातः 11.00 बजे उपस्थित रहेगा ।

2 प्रकरण के साक्षियों को न्यायालय के समक्ष पेश न करने के लिये कोई धमकी, वचन या उत्प्रेरणा नहीं देगा।

3 प्रकरण के शीघ्र व निष्पक्ष निराकरण में कोई बाधा नहीं पहुचायेगा ।

4 अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर यह जमानत की सुविधा स्वमेव निरस्त हो जावेगी।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा को रिमाण्ड प्रपत्र एवं पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर, आरक्षी केन्द्र कोतवाली को केस डायरी के साथ संलग्न कर सूचनार्थ/अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक, कोरबा को माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर के Memorandum No. 15389/III-1-11/2001 Bilaspur, dated 16 December 2022 के पालन में सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि के अंतर्गत अभिलेखागार प्रेषित हो।

प्रकरण समाप्त। सही/-

(विक्रम प्रताप चन्द्रा)
अपर सेशन न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी
(पॉक्सो) कोरबा (छ०ग०)